6

6.1 ऋण आयोजना

6.2 पुनर्वित्त ऋण का स्नैपशॉट

6.3 वित्तीय वर्ष 2025 में पुनर्वित्त ऋण में नई पहलें

6.4 ऋण विस्तार के अन्य साधन

6.5 ऋण वितरण पारिस्थितिकी तंत्र दक्षता में सुधार लाना

6.6 वित्तीय समावेशन बढ़ाना

6.7 आगे की राह

वित्तीय समावेशन के लिए ऋण की आयोजना और वितरण

ऋण तक आसान पहुँच के माध्यम से ग्रामीण विकास बढ़ाने के अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप नाबार्ड ने गत चार दशकों के दौरान जमीनी स्तर के समुदायों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की है. नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति और ग्रामीण विकास को समर्पित विविध ऋण उत्पादों ने कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है जिससे खाद्यान्न और बागबानी फसलों के उत्पादन को गति प्राप्त हुई है.

ऋण के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड ने त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है:

- ऋण आयोजना और अनुप्रवर्तन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
- अपने पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष वित्त के उत्पादों के माध्यम से यह अंतिम सिरे तक ऋण की पहुँच सुनिश्चित करता है.
- ग्रामीण ऋण की माँग को प्रोत्साहित करने के लिए यह वित्तीय समावेशन को गहराई तक ले जाता है.

6.1 ऋण आयोजना

भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को संस्थागत ऋण की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सर्वोपरि है. यह देखते हुए कि देश में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, समय पर ऋण प्रवाह और भी अधिक महत्व रखता है. अतः प्रभावी ऋण योजना में माँग-पक्ष की आवश्यकताओं का एक सुदृढ़ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए.है.

इस संदर्भ में सरकार कृषि क्षेत्र के लिए वार्षिक आधार-स्तरीय ऋण (जीएलसी) लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा पूरा किया जाना है.[1]

नाबार्ड प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाएँ (पीएलपी) तैयार करता है, जिसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान ऋण संभाव्यता का आकलन किया जाता है ताकि जिला स्तर पर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सके. इसके अतिरिक्त, संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाओं में आधारभूत संरचनाओं की कमियों और वांछित सहायक सेवाओं का एक वृहद् चित्रण किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार ₹27.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के समक्ष 105% की उपलब्धि दर्ज करते हुए कुल ₹28.7 लाख करोड़ (अनंतिम) के कृषि ऋण का संवितरण किया गया (चित्र 6.1). नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए ऋण प्रवाह का अनुमान लगाने वाली 761 संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाएँ तैयार कीं, जिनमें 782 जिलों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया. ये योजनाएँ आपूर्ति-पक्ष के दृष्टिकोण से बैंकों के लिए उनकी ऋण योजनाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराती हैं.

जिला-स्तरीय संभाव्यतायुक्त ऋण योजनाओं में आकलित ऋण संभाव्यता को समेकित कर राज्य के स्तर पर स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) तैयार किए जाते हैं. ये दस्तावेज समग्र ऋण संभाव्यताओं का खाका प्रस्तुत करते हैं, क्षेत्रीय और आधारभूत संरचना संबंधी कमियों की पहचान करते हैं तथा रणनीतिक सहयोगों के सुझाव देते हैं. साथ ही ये विद्यमान अवसरों का लाभ उठाने हेतु सरकारी विभागों से अपेक्षित सहयोग को भी इंगित करते हैं.

इसके लिए नाबार्ड ने देश भर में 507 जिला विकास प्रबंधकों (डीडीएम) को तैनात किया है ताकि ऋण आयोजना की निगरानी की जा सके, ऋण प्रवाह का अनुप्रवर्तन किया जा सके तथा जिला-स्तरीय विकास हितधारकों और एजेंसियों के बीच समन्वय सुगम हो सके.

6.1.1 पीएलपी-एसएफ़पी के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया की संरचना

मानवीय हस्तक्षेप को कम-से-कम करने और समग्र पठनीयता में सुधार लाने एवं दस्तावेज़ की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025 में संभाव्यतायुक्त ऋण योजनाओं और स्टेट फोकस पेपरों को तैयार करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकृत कर दिया गया. अब पीएलपी के लिए डेटा संग्रहण एन्श्योर पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जा रहा है, इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए स्टेट फोकस पेपरों को भी एन्श्योर पोर्टल पर जिला विकास प्रबंधकों द्वारा पीएलपी तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सूचनाओं के उपयोग से डिजिटल रूप से संकलित किया गया है.

चित्र 6.1: 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एजेंसियों द्वारा कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण (अनंतिम आँकड़े) (₹ लाख करोड़)

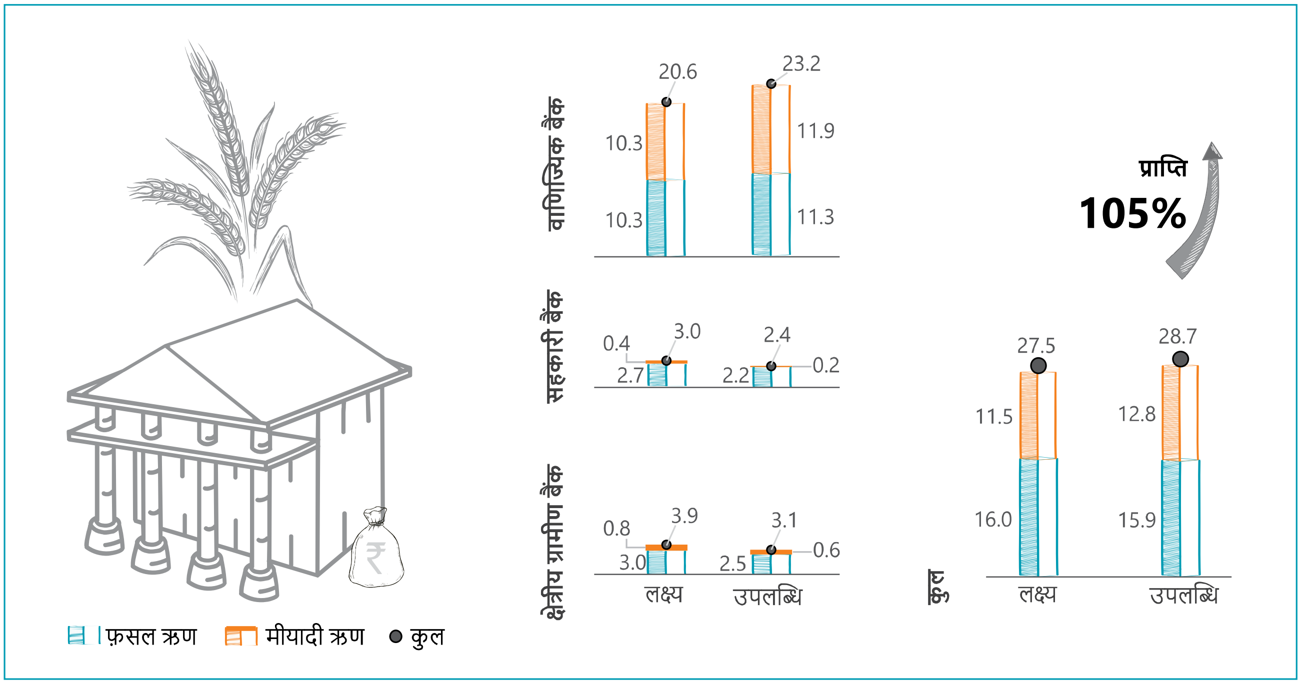

नोट: पूर्णांकन के कारण अंकों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है.

राजस्थान और केरल के जिलों में पीएलपी और एसएफ़पी का विमोचन

6.2 पुनर्वित्त ऋण की झलक

ऋण की योजनाएँ तैयार करने के अतिरिक्त, नाबार्ड पुनर्वित्त गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण ऋण प्रवाह को बढ़ाता है (चित्र 6.2).

चित्र 6.2 दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता (₹ करोड़ में)

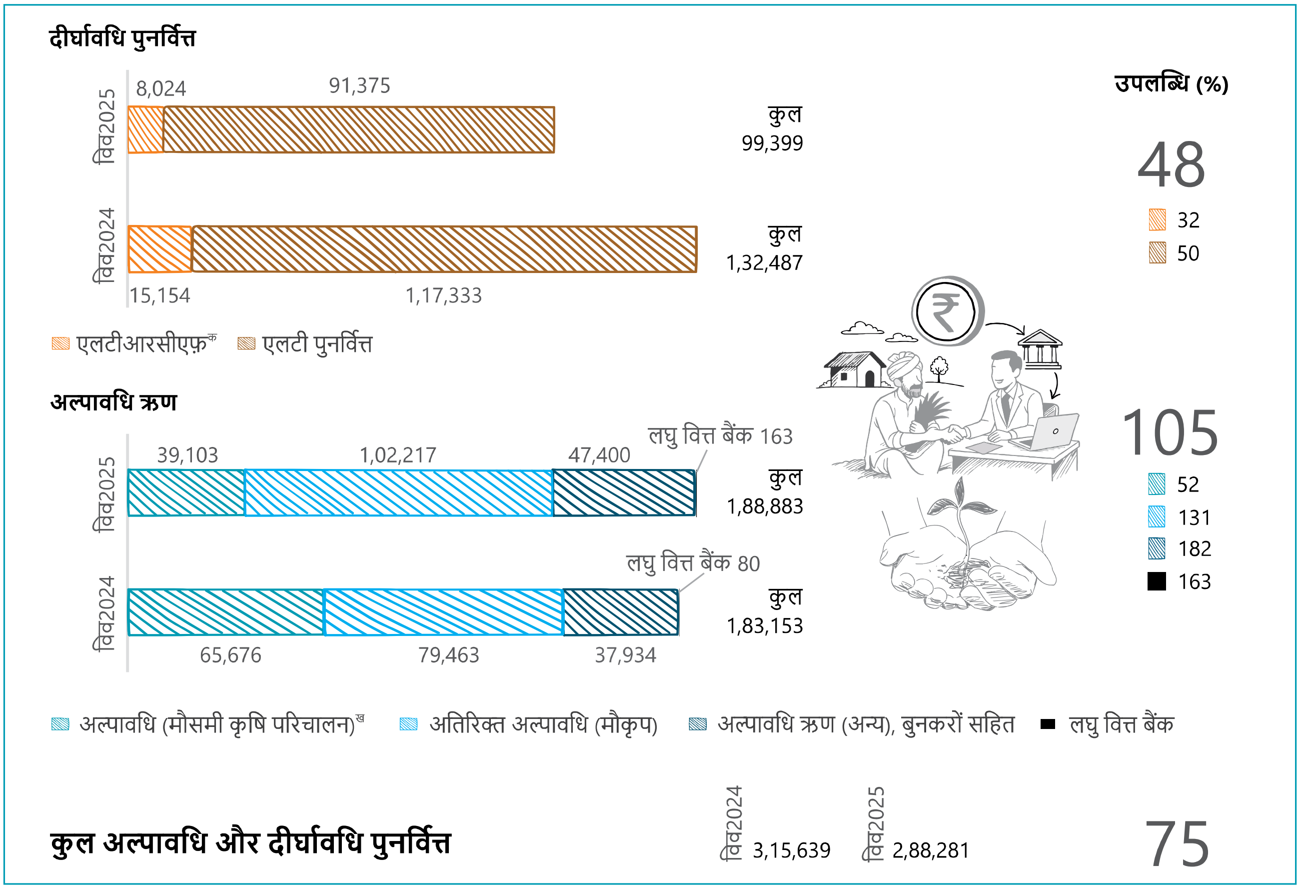

क. ₹25,000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹8,024 करोड़ जारी किए

ख. ₹75,000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक ने ₹39,103 करोड़ जारी किए

एलटी=दीर्घावधि, एलटीआरसीएफ़ = दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि, आरबीआई = भारतीय रिज़र्व बैंक, एसएफ़बी = लघु वित्त बैंक, एसटी = अल्पावधि, एसटी (एसएओ) = मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अल्पावधि ऋण.

6.2.1 अल्पावधि पुनर्वित्त का कार्यनिष्पादन

किसानों, बुनकरों और ग्रामीण कारीगरों की उत्पादन और कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड अल्पावधि ऋण सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, कुल ₹1.9 लाख करोड़ का अल्पावधि पुनर्वित्त संवितरित किया गया, जिसमें से 72% राज्य सहकारी बैंकों (रास बैंकों) को संवितरित किया गया.

नाबार्ड की अल्पावधि ऋण सहायता के अंतर्गत संवितरणों में वित्तीय वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 3.1% की वृद्धि दर्ज हुई. क्षेत्रवार देखें तो, सबसे अधिक 45.7% अल्पावधि पुनर्वित्त का हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र के खाते में गया, उसके बाद उत्तरी क्षेत्र (17.7%), मध्य क्षेत्र (15.9%) और पूर्वी क्षेत्र (12.1%) का स्थान रहा. अल्पावधि पुनर्वित्त संवितरण में पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा सबसे कम (8.3%) रहा (चित्र 6.4).[2]

चित्र 6.3 एजेंसियों द्वारा अल्पावधि पुनर्वित्त का संवितरण (₹ करोड़)

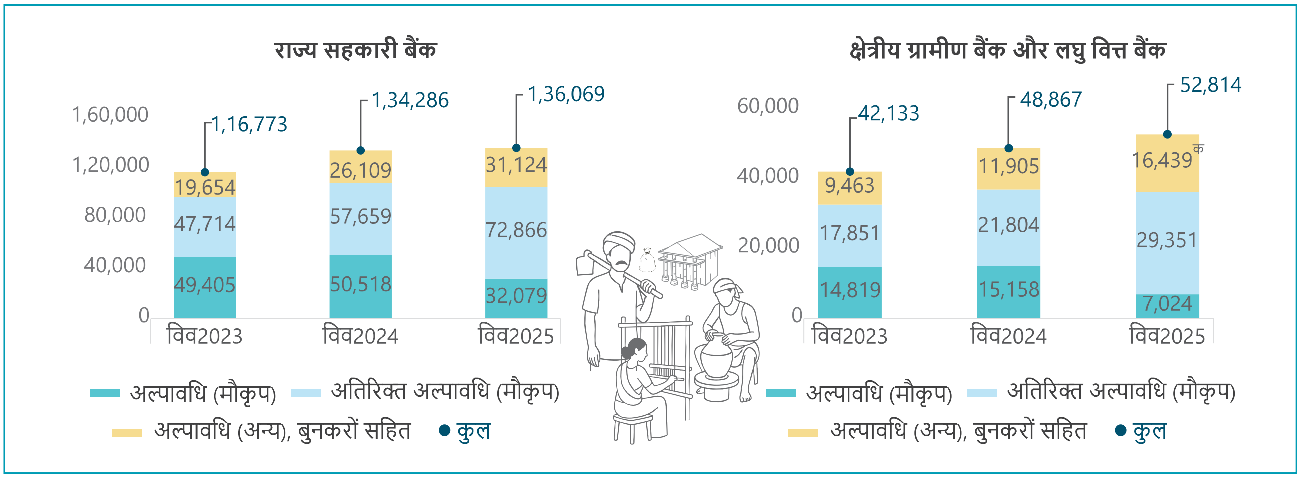

क. लघु वित्त बैंकों को ₹163 करोड़ का संवितरण किया गया.

आरआरबी = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसएफ़बी = लघु वित्त बैंक, एसएलएफ़ = विशेष तरलता सुविधा, एसटी = अल्पावधि, एसटीसीबी = राज्य सहकारी बैंक, एसटी (एसएओ) = अल्पावधि ऋण (मौसमी कृषि परिचालन).

चित्र 6.4: अल्पावधि पुनर्वित्त का क्षेत्र-वार संवितरण और हिस्सा (₹ करोड़)

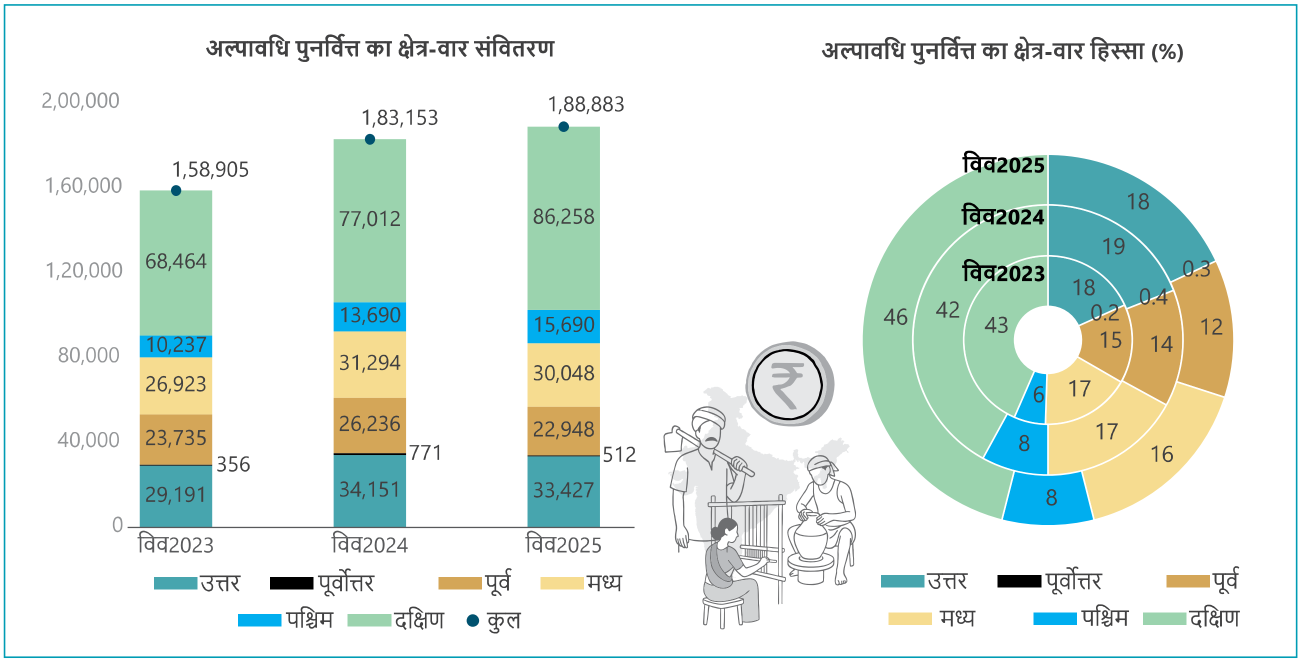

नोट:

i. पूर्णांकन के कारण अंकों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है.

ii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्र-वार सूची के लिए कृपया अध्याय 6 के अंत में दिया गया नोट 2 देखें.

6.2.2 दीर्घावधि पुनर्वित्त का कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत ₹99,399 करोड़ का संवितरण किया गया (चित्र 6.5). इस संवितरण का एक बड़ा हिस्सा (59%) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को गया जिनमें लघु वित्त बैंक भी शामिल थे, इसके बाद राज्य सहकारी बैंकों को 12% और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 11% का हिस्सा प्राप्त हुआ. दीर्घावधि पुनर्वित्त में भी क्षेत्रीय असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है क्योंकि पुनर्वित्त की अधिकतम हिस्सेदारी दक्षिणी क्षेत्र (41.8%) की रही, इसके बाद पश्चिम (25.9%), उत्तर (11.1%), पूर्व (9.9%), मध्य (9.5%) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (1.7%) की हिस्सेदारी रही (चित्र 6.6).

चित्र 6.5: दीर्घावधि पुनर्वित्त का एजेंसी-वार संवितरण (₹ करोड़)

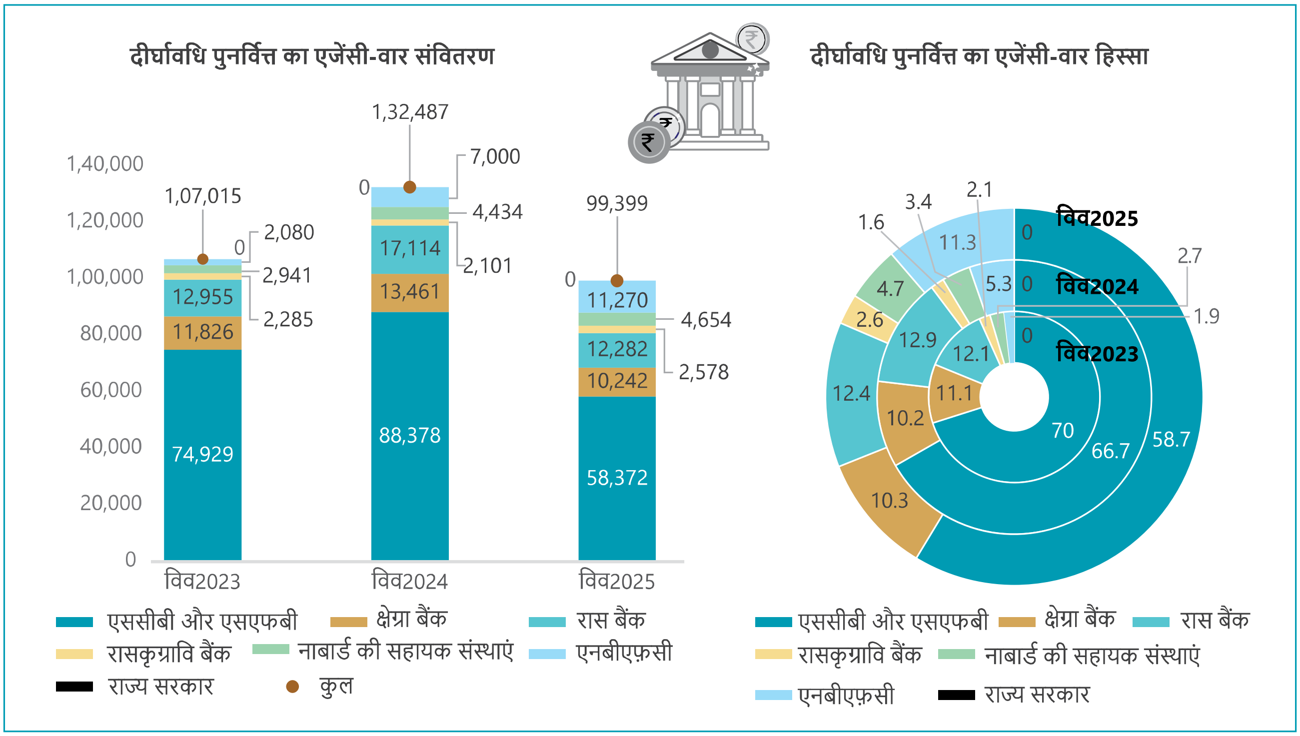

सीबी = वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफ़सी = गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंक, एससीबी = अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एसएफ़बी = लघु वित्त बैंक, एसटीसीबी = राज्य सहकारी बैंक.

नोट: पूर्णांकन के कारण अंकों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है.

नाबार्ड से प्राप्त दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण के माध्यम से संधारणीय ऋण वितरण हेतु ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का क्षमता-वर्धन.

चित्र 6.6: दीर्घावधि पुनर्वित्त का क्षेत्र-वार संवितरण और हिस्सा (₹ करोड़)

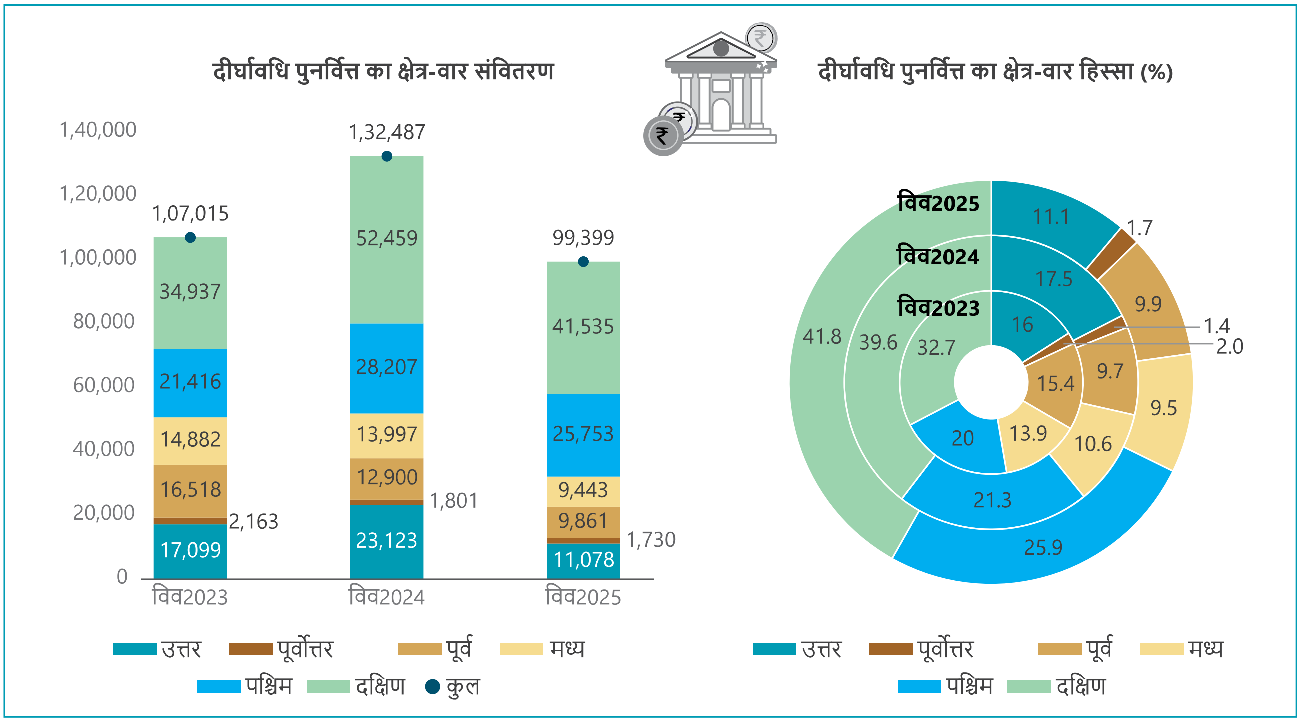

नोट्स:

i. पूर्णांकन के कारण अंकों का जोड़ कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है.

ii. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की क्षेत्र-वार सूची के लिए कृपया अध्याय 6 के अंत में दिया गया नोट 2 देखें.

6.3 वित्तीय वर्ष 2025 में पुनर्वित्त ऋण में नई पहलें

6.3.1 विशेष पुनर्वित्त योजनाएँ

- **आवास सेक्टर में सौर रूफ़टॉप प्रणालियों की स्थापना**: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में सौर ऊर्जा अपनाने हेतु प्रोत्साहन देना है. इसके अंतर्गत 200 वॉट (W) से 10 किलोवॉट (kW) तक की रूफटॉप सौर प्रणालियों के लिए रियायती पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है. वित्तीय संस्थाओं की ऋण तक पहुँच को सुव्यवस्थित करने हेतु यह पुनर्वित्त स्वत: पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ) के अंतर्गत मंजूर किया जाता है.
- **सौर रूफ़टॉप के साथ ग्रामीण आवास**: यह पहल ग्रामीण आवासन के साथ सौर ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ावा देती है. इसके अंतर्गत मकान हेतु दिए जाने वाले आवास ऋण के साथ रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली को जोड़ा जाता है. नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के आधार पर ब्याज में 0.5% की छूट दी जाती है. इस योजना के लिए ₹200 करोड़ का कॉर्पस रखा गया है. यह पुनर्वित्त स्वत: पुनर्वित्त सहायता (एआरएफ) के तहत मंजूर किया जाता है.
- **आकांक्षी ज़िले**: यह योजना आकांक्षी ज़िलों और उन ज़िलों में चलाई जा रही है जहाँ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण (पीएसएल) के तहत कवरेज कम रहा. इसके अंतर्गत ज़िलों में संधारणीय आर्थिक गतिविधियों, आजीविकाओं और रोज़गार सृजन को सहयोग प्रदान किया जाता है. रियायती पुनर्वित्त के माध्यम से यह योजना इन क्षेत्रों में ऋण वितरण में वृद्धि करने और ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करती है.

- **पशुपालन आधारभूत संरचना विकास (एएचआईडी)**: पशुपालन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की कमियों को दूर करने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र गतिविधियों के लिए रियायती पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है.

6.3.2 एन्श्योर 2.0 का शुभारंभ और उसका एआईएफ़ पोर्टल के साथ एकीकरण

नाबार्ड, कृषि विपणन आधारभूत संरचना (एएमआई) योजना का कार्यान्वयन करता आ रहा है. इसके अंतर्गत गत कुछ वर्षों से एन्श्योर 1.0 पोर्टल के माध्यम से दावों को ऑनलाइन में प्रस्तुत किया जाता रहा है. कार्यदक्षता और परिचालनों में सरलता बढ़ाने की दृष्टि से नाबार्ड ने उन्नत विशेषताओं को शामिल करते हुए एन्श्योर 2.0 पोर्टल विकसित किया है.

भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन आधारभूत संरचना योजना को उसके कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के साथ अभिसरण को अनुमोदन प्रदान करने के बाद, एन्श्योर 2.0 को एआईएफ पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है. इस एकीकरण से पात्र दावों को एन्श्योर पोर्टल पर निर्बाध रूप से अंतरित करना सक्षम हो गया है, जिससे एएमआई योजना के अंतर्गत सब्सिडियों का संसाधन और संवितरण निर्बाध हो गया है.

6.4 ऋण विस्तार के अन्य साधन

अल्पावधि और दीर्घावधि पुनर्वित्त सहयोगों के अतिरिक्त नाबार्ड, पुनर्वित्त के नए उत्पादों के साथ-साथ विशेष योजनाओं के लिए भी निधियों को चैनलाइज़ करता है, जिनके विवरण नीचे संक्षेप में दिए गए हैं (चित्र 6.7).

पुनर्वित्त की विशेष योजनाएँ और नए उत्पाद जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं (दक्षिणावर्त): एमएससी के रूप में पैक्स, सौर रूफ़टॉप प्रणालियाँ, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, और डब्ल्यूएलजीएसपी.

चित्र 6.7: वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान विशेष पुनर्वित्त योजनाओं और नए पुनर्वित्त उत्पादों का कार्यनिष्पादन

आकांक्षी जिले

आकांक्षी जिलों और कम पीएसएल वाले जिलों में संधारणीय आर्थिक गतिविधियों, आजीविका और रोजगार संवर्धन के लिए विशेष पुनर्वित्त योजना (एसआरएस).
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹157.2 करोड़

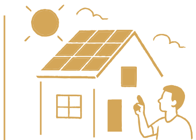

सोलर रूफ़टॉप प्रणालियाँ

आवासीय सेक्टर में सोलर रूफ़टॉप प्रणालियों की स्थापना को सहयोग के लिए एसआरएस.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹44.6 करोड़
ग्रामीण आवास ऋणों के साथ रूफटॉप सोलर प्रणालियों को जोड़ने के लिए एसआरएस.
- कॉर्पस: ₹200 करोड़
- ब्याज दर में 0.5% की छूट, प्रतिपूर्ति के आधार पर

एमएससी के रूप में पैक्स

3 वर्षों की समयावधि में पैक्स को एमएससी के रूप में परिवर्तित करने के लिए एसआरएस, वित्तीय वर्ष 2021 से प्रारंभ.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹321.8 करोड़

डब्ल्यूएलजीएसपी

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोगिक रूप से चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़े अन्न भंडारण योजना (डबल्यूएलजीएसपी) के लिए रियायती दरों पर पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है. चरण II में, इस परियोजना को प्रत्येक जिले के पाँच पैक्स में रोल आउट किया जा रहा है; कार्यक्रम का कार्यान्वयन चल रहा है.

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत संवर्धित की जा रही सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹291.3 करोड़.

एआईएफ़ के अंतर्गत वित्तपोषण

एआईएफ़ के अंतर्गत पात्र गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण सहकारी बैंकों और नाबार्ड की सहायक संस्थाओं को प्रदान की जा रही रियायती पुनर्वित्त सहायता.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹123.3 करोड़

वॉश

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वॉश गतिविधियों के लिए बैंकों और पात्र वित्तीय संस्थाओं को रियायती पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है.
वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण: ₹97.0 करोड़

एआईएफ़ = कृषि अवसंरचना कोष, एमएससी= बहु-सेवा केंद्र, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, एसआरएस = विशेष पुनर्वित्त योजना, वॉश = जल, स्वच्छता और आरोग्य, एसटी = अल्पावधि, डब्ल्यूएलजीएसपी = सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना.
नोट: इन पुनर्वित्त उत्पादों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया नाबार्ड (2023) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई का पृष्ठ सं. 75 देखें. https://www.nabard.org/pdf/2023/annual-report-2022-23-full-report.pdf.

एथनॉल के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को ब्याज सहायता अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सैचुरेशन और ऋण-युक्त सब्सिडी कुछ ऐसे अन्य उत्पाद हैं जिनका प्रभावी प्रबंधन, नाबार्ड द्वारा भारत सरकार के लिए किया जा रहा है (चित्र 6.8).

चित्र 6.8: वित्तीय वर्ष 2025 में अन्य ऋण उत्पादों का कार्यनिष्पादन

ब्याज सहायता योजनाएँ

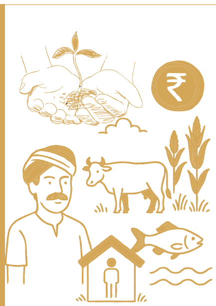

- ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए फ़सल ऋण ब्याज सहायता योजना
- लघु और सीमांत किसानों को फसल उत्पादन के लिए और परक्राम्य भांडागार रसीद के समक्ष, ऋण के लिए ब्याज सहायता
- पशुपालन और मत्स्यपालन में किसानों द्वारा तत्पर चुकौती के फलस्वरूप ब्याज सहायता
- केसीसी धारक किसानों को अल्पावधि ऋणों (फसलों, पशुपालन, अथवा मत्स्यपालन के लिए) पर ब्याज सहायता
- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ब्याज सहायता योजना

वित्तीय वर्ष 2025 में संवितरण

- अल्पावधि फ़सल ऋणों के लिए : ₹9,831.4 करोड़
- डीएवाई - एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के माध्यम से महिला एसएचजी को : ₹1,159.8 करोड़

एथनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

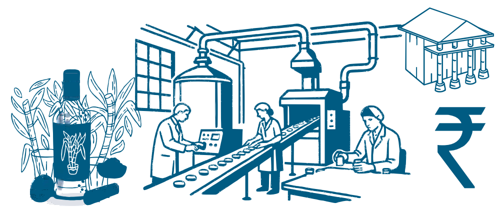

वित्तीय वर्ष 2025

- ग्रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से ₹604 करोड़ की ब्याज सहायता

31 मार्च 2025 तक संचयी रूप से

- ₹1,535 करोड़ की ब्याज सहायता

भारत सरकार की पूँजी सब्सिडी योजनाओं का कार्यान्वयन

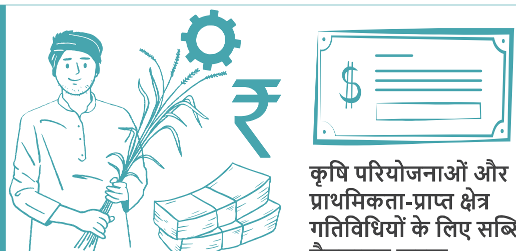

कृषि परियोजनाओं और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र गतिविधियों के लिए सब्सिडी चैनलाइज़ करना.

विवरण	एसीएबीसी	नयी एएमआई योजना	पुरानी एएमआई योजना
वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कार्यनिष्पादन			
इकाइयों की सं.	267	3,160	1
जारी सब्सिडी (₹ करोड़)	13.2	669.0	0.5
31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार संचयी प्रदर्शन			
इकाइयों की सं.	3,964	10,658	42,261
जारी सब्सिडी (₹ करोड़)	160.0	2,053.3	4,467.4
वैज्ञानिक भंडारण क्षमता (हज़ार मीट्रिक टन)	-	27,600.6	60,853.3

केसीसी सेचुरेशन अभियान

चरण	मंजूर किए गए केसीसी की सं. (लाख में)	मंजूर सीमाएँ (₹ करोड़ में)
I	12.6	8,450
II	172.3	1,77,482.3

सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (डीआरए)

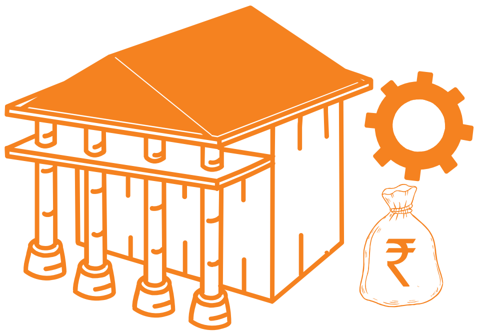

कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि उपकरणों और अन्य उत्पादक आस्तियों की मरम्मत तथा रखरखाव, उत्पादों के भंडारण/ ग्रेडिंग/ पैकेजिंग, विपणन गतिविधियों, खाद्य ऋण संघ, कृषीतर गतिविधियों, सहकारी और निजी चीनी मिलों को मंजूर गिरवी सीमाओं के समक्ष कार्यशील पूँजी ऋण के लिए सहकारी बैंकों (रास बैंकों और जिमस बैंकों) को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

वित्तीय वर्ष 2025 में

- मंजूर ₹38,002.5 करोड़; वित्तीय वर्ष 2024 से 41.7% अधिक
- संवितरण ₹37,216.6 करोड़; वित्तीय वर्ष 2024 से 38.5% अधिक
- 31 मार्च 2024 के ₹20,504.1 करोड़ के समक्ष 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार बकायों की स्थिति ₹27,767.6 करोड़ थी.
- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा ऋण का उपयोग किया गया.

फ़ेडरेशनों के लिए ऋण सुविधा

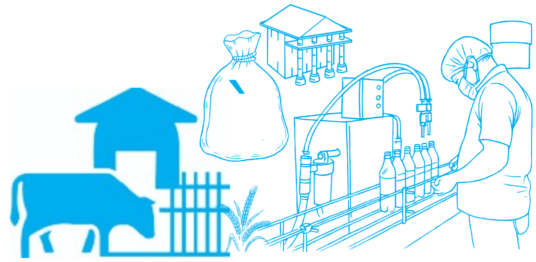

कृषि विपणन महासंघों, डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध यूनियनों और फ़ेडरेशनों को निविष्टियों की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन को सहयोग प्रदान करने के लिए अल्पावधि ऋण.

वित्तीय वर्ष 2025 में

- मंजूरी ₹51,950 करोड़; वित्तीय वर्ष 2024 से 34.2% अधिक
- संवितरण ₹65,991 करोड़; वित्तीय वर्ष 2024 से 68% अधिक
- 31 मार्च 2024 के ₹20,583 करोड़ के समक्ष 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकायों की स्थिति ₹41,677 करोड़ थी.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परिचालनों के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद हेतु विपणन महासंघों और राज्य सिविल निगमों द्वारा प्रदान की गई सहायता का उपयोग किसानों को पारिश्रमिक मूल्य (एमएसपी) का भुगतान करने के लिए किया जाता है.
- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाणा को प्रदान की गई सहायता के माध्यम 509 लाख टन से अधिक के खाद्यान्न की खरीद के माध्यम से 73 लाख से भी अधिक किसानों को लाभ पहुँचाया गया है.

एसीएबीसी = एग्रि-क्लिनिक और एग्रि बिज़नेस सेंटर, एएमआई = कृषि विपणन आधारभूत संरचना, सीएसएस = पूँजी सब्सिडी योजना, डीएवाई-एनआरएलएम = दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, डीआरए = प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता, जीओआई = भारत सरकार, केसीसी = किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसपी = न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमटी = मीट्रिक टन, एनडबल्यूआर = परक्राम्य भंडारण रसीद, ग्रास बैंक = ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एससीबी = अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एसटी = अल्पावधि, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, डब्ल्यूएसएचजी = महिला स्वयं सहायता समूह.

नोटः:

1. एएमआई योजना ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित और उन्नत करने हेतु सहायता प्रदान करती है.
2. एसीएबीसी योजना के तहत योग्य कृषि व्यावसायिकों द्वारा कृषि-उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है जो इस क्षेत्र में सार्वजनिक विस्तार प्रयासों के लिए पूरक का कार्य करते हैं.
3. अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया नाबार्ड (2023), वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई पृष्ठ सं. 76-77 देखें. https://www.nabard.org/pdf/2023/annual-report-2022-23-full-report.pdf.

6.5 ऋण वितरण पारिस्थितिकी तंत्र दक्षता में सुधार लाना

नाबार्ड, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और कुशल रणनीतियों को अपनाते हुए ग्रामीण ऋण परिदृश्य में नवोन्मेष और प्रभावशाली परिवर्तन लाने के लिए हमेशा की तरह प्रतिबद्ध बना हुआ है. गत वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने अपने वर्तमान ऋण परितंत्र को न केवल सुदृढ़ किया बल्कि पारदर्शिता, दक्षता और डेटा-आधारित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से नई पहलें भी प्रारंभ की.

- **ग्रामीण सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन्स (सीबीएस)**: ग्रामीण सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकिंग मानकों के समकक्ष लाने के लिए नाबार्ड ने 216 बैंकों को क्लाउड-आधारित सीबीएस प्लैटफॉर्मों को अपनाने हेतु सक्षम बनाया है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान उद्योग मानकों के अनुरूप उन्नत संस्करणों में उन्नयन करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना जारी रहा.

- **ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए केंद्रीकृत अकाउंट एग्रिगेटर (एए)**: वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में नाबार्ड ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) मॉड्यूलों को होस्ट करने के लिए एक केंद्रीकृत अकाउंट एग्रीगेटर आधारभूत संरचना के विकास का कार्य प्रारंभ किया है. भारतीय रिज़र्व बैंक से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस प्लैटफॉर्म को इच्छुक ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक सेवा के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन, सुरक्षित डेटा-शेयरिंग और लागत दक्षता संवर्धित होगी.
- **ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए साझा आधार डेटा वॉल्ट (एडीवी)**: आधार डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड, लागतों को कम करने और अनुपालना बढ़ाने के लक्ष्य से ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) के लिए साझा आधार डेटा वॉल्ट (एडीवी) मॉडल की संभावनाओं पर कार्य कर रहा है.
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) हेतु बेस प्लैटफॉर्म कार्यान्वयन**: प्रत्यक्ष लाभ अंतरणों (डीबीटी) को सुगम बनाने के लिए, नाबार्ड ग्रामीण सहकारी बैंकों को भारत आधार सीडिंग एनेब्लर (बेस) प्लैटफॉर्म अपनाने हेतु सक्षम बना रहे हैं. इससे नागरिक अपने आधार की जानकारी को ऑनलाइन प्रविष्ट, अप्रविष्ट अथवा अंतरित कर सकते हैं. प्रारंभिक चरण में यह प्लैटफॉर्म लगभग 200 ग्रामीण सहकारी बैंकों में कार्यान्वित किया जाएगा, बाद में चरणबद्ध रूप में इसका विस्तार किया जाएगा. नाबार्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ मिलकर ग्राहक संस्थाओं के लिए आधार सत्यापन आधारभूत संरचना को सुव्यवस्थित करने का भी कार्य कर रहा है.
- **ऋण वितरण, ब्याज सहायता, आदि के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकास**
    - **ई-केसीसी पोर्टल**: मेसर्स 24x7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्रा. लि. के सहयोग से नाबार्ड ने एक पोर्टल विकसित किया है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक इन्नोवेशन हब के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस से इंटिग्रेट किया गया है, ताकि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की प्रक्रिया को डिजिटाइज़ किया जा सके. किसान ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसका सैद्धांतिक अनुमोदन कुछ ही मिनटों में प्रदान कर दिया जाता है. वित्तीय वर्ष 2025 में, 12 बैंक इस पोर्टल से जुड़ गए, और ऋण संबंधी 300 से अधिक मामलों का लाइव परीक्षण किया गया. भविष्य के चरणों में इस पोर्टल में व्यक्तिगत ऋण या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने हेतु सुविधाएँ भी शामिल की जाएँगी. यह पोर्टल राज्य भूमि अभिलेखों, उपग्रह के चित्रों, सिबिल और यूआईडीएआई के साथ एकीकृत है, जिससे जोखिम आकलन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है.
    - **कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ़) ब्याज सहायता पोर्टल**: 28 जून 2024 को माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया यह पोर्टल (https://aifis.nabard.org) एआईएफ़ योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता और ऋण गारंटी शुल्क दावों की निपटान प्रक्रिया को स्वचलित बनाता है. 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार 27 बैंकों द्वारा लगभग ₹41 करोड़ मूल्य के 14,000 दावे प्रस्तुत किए गए. वित्तीय वर्ष 2026 में और अधिक बैंकों को इस व्यवस्था से जोड़ने तथा रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड के एकीकरण की योजना है.[3]

माननीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री भागीरथ चौधरी; श्री शाजी के.वी., अध्यक्ष, नाबार्ड; कृषि और किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव, संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एआईएफ़ ब्याज सहायता पोर्टल का लॉन्च.

- **एनआरएलएम ब्याज सहायता पोर्टल**: यह प्लैटफॉर्म महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दावों का संसाधन करता है. 11 जनवरी 2024 को अपने लॉन्च के साथ, अब तक इस पर 202 बैंक पंजीकृत हो चुके हैं. 22.7 लाख एसएचजी खातों के लिए ₹1,376 करोड़ की राशि के दावे निपटाए गए, जिससे संसाधन लागतों के रूप में ग्रामीण बैंकों को अनुमानित ₹9.6 करोड़ की बचत हुई. यह ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से एनआरएलएम-आईएस दावे प्रस्तुत करने का पहला उदाहरण है.

- **कृषि-मूल्य शृंखला वित्तपोषण (एवीसीएफ़) का डिजिटलीकरण**: बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक प्रायोगिक एवीसीएफ़ पहल को कार्यान्वित किया गया था जिसका ध्यान निविष्टियाँ उपलब्ध कराने, फसल उत्पादन, और फसलोपरांत अधिप्राप्ति पर केंद्रित था. कुल ₹5.1 करोड़ के ऋण भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से संवितरित किए गए. उन्नति पहल के अंतर्गत प्रयोजन आधारित केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के प्रायोगिक कार्यान्वयन से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग भविष्य के कार्यान्वयन में किया जाएगा.
- **प्रौद्योगिकी सुविधा निधि (टीएफएफ)**: 14 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई, प्रौद्योगिकी सुविधा निधि ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने वाले एग्री-टेक स्टार्टअपों की सहायता करती है. ₹50 करोड़ की समूह निधि के साथ इस निधि में से कृषि उत्पादकता और संधारणीयता में सुधार करने के लक्ष्य से तैयार किए जा रहे तकनीकी समाधानों का निधीयन किया जाता है. टीएफएफ के अंतर्गत एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) ने जम्मू और कश्मीर में सेब की आपूर्ति श्रृंखला में ट्रेसेबिलिटी को सक्षम बनाया है. ₹10.3 लाख की कुल अनुदान सहायता के साथ इस पहल ने क्यूआर कोड वाले बॉक्सों का उपयोग करते हुए 622 किसानों और 887 खेतों को मैप किया, जिससे उत्पाद की ट्रेसेबिलिटी अच्छी हुई और उपभोक्ता का विश्वास बढ़ा. इसके अतिरिक्त मेसर्स 24x7 मनीवर्क्स कंसल्टिंग प्रा. लि. में ₹3.8 करोड़ का इक्विटी निवेश भी किया गया.
- **ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए साइबर बीमा**: साइबर जोखिम के प्रति सुरक्षा प्राप्त करने में ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड ने लगातार दूसरे वर्ष उनका साइबर बीमा कराना सुनिश्चित किया है. केंद्रीकृत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उद्योग में सबसे कम प्रीमियम वाली दरें प्राप्त की गईं, जिससे ₹9 करोड़ की बचत हुई. 12 माह की यह पॉलिसी (1 अप्रैल 2025 से प्रभावी) ₹2,000 करोड़ की समेकित देयता सीमा प्रदान करती है, जिसकी प्रीमियम की दर 0.54% है, जो बाजार औसत 0.75% से 1.25% से काफी कम है. यह पहल ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को व्यक्तिगत आरएफपी जारी करने के कार्य से तो मुक्त करती ही है, साथ ही व्यापक कवरेज सुनिश्चित करती है.

6.6 वित्तीय समावेशन बढ़ाना

वित्तीय समावेशन से संबंधित नाबार्ड की नवीनीकृत रणनीति क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और देशभर में औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक सभी की समान पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी) को प्राथमिकता दी जाती है, इन जिलों में आकांक्षी जिले, वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र, ऋण की कमी वाले क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र यथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जिले शामिल हैं. वित्तीय समावेशन निधि से लक्ष्योन्मुख सहायता के साथ नाबार्ड ने आधारभूत संरचनाओं के सृजन, डिजिटल सक्षमीकरण, नीतिगत समर्थन और अल्पसेवित ग्रामीण समुदायों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए वित्तीय साक्षरता पहलों के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्राप्त की है.

6.6.1 वित्तीय साक्षरता और क्षमता निर्माण

वित्तीय साक्षरता नाबार्ड की समावेशन रणनीति का केन्द्रबिंदु बनी हुई है. संगठन ने वित्तीय उत्पादों और डिजिटल सेवाओं की समझ को बढ़ाने के लिए अनेक पहलों की सहायता की है, विशेष रूप से बैंक रहित क्षेत्रों में. इन पहलों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन, बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंटों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, प्रदर्शन वैनों और कियोस्कों की स्थापना, तथा व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन शामिल हैं.

वित्तीय साक्षरता और जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक; कोटा, राजस्थान.

6.6.2 प्रौद्योगिकी अंगीकरण एवं आधारभूत संरचना सहयोग

आपूर्ति पक्ष पर वित्तीय परितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नाबार्ड ने बैंकों को डिजिटल प्लैटफॉर्मों पर ऑनबोर्ड करने में सहायता प्रदान की तथा कनेक्टिविटी और विनियामकीय अनुपालनों को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान किया. इन प्रमुख गतिविधियों में माइक्रो-एटीएमों और पॉइंट-ऑफ-सेल (पॉस) मशीनों की तैनाती, बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेंट बिंदुओं पर दोहरे प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना, तथा विशेष फोकस वाले जिलों में कनेक्टिविटी और बिजली की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना शामिल है.

6.6.3 वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान एफआईएफ के तहत सहयोग-प्राप्त नई गतिविधियाँ

31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत संचयी मंजूरियाँ ₹6,233.3 करोड़ रहीं और संचयी संवितरण ₹3,540.5 करोड़ का रहा. अकेले वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ही ₹290.3 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई तथा ₹191.6 करोड़ की राशि संवितरित की गई. इसके अंतर्गत नई पहलें निम्नानुसार हैं:

- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) के लिए ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस)**: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के साथ मिलकर नाबार्ड 12 भाषाओं में 4,400 घंटों की लक्ष्य आधारित पाठ्य सामाग्री के 64 पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास के सहयोग हेतु एक केंद्रीकृत ज्ञानार्जन प्रबंधन प्रणाली, रीप-आरसेटी ई-लर्निंग एआई प्लैटफॉर्म विकसित कर रहा है. इस परियोजना के लिए ₹18.6 करोड़ की राशि मंजूर की गई है जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख ग्रामीण प्रशिक्षार्थियों को लाभान्वित करना है. आईआईटी मद्रास ने अब तक 15 पाठ्यक्रमों के लिए 85 घंटे की सामग्री विकसित कर ली है.
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जनसुरक्षा योजनाओं का स्वचालन**: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को डिजिटाइज़ और सुव्यवस्थित करने के लिए, नाबार्ड सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों[4] को जनसुरक्षा पोर्टल[5] पर ऑनबोर्डिंग करवाने में सहायता प्रदान कर रहा है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चुके हैं, और यह प्लैटफॉर्म बैंकों को आद्योपांत डिजिटल नामांकन और दावों का निपटान करने में सक्षम बनाता है.
- **पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों के ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी)/ बिजनेस करेस्पोंडेंटों (बीसी) के लिए प्रोत्साहन योजना**: यह योजना 26 अप्रैल 2024 को प्रारंभ की गई थी. इस योजना में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के टियर 5 और टियर 6 केंद्रों में प्रति गांव उत्कृष्ट कार्य करने वाले शीर्ष दो सीएसपी/ बीसी को प्रति माह ₹1,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 5,740 बीसी एजेंटों को लाभान्वित करते हुए कुल ₹688.8 लाख मंजूर किए गए (शोकेस 6.1).
- **ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के तहत सहयोग—एचटीएस-वीसैट, डुअल एलटीई और एसडी-वैन प्रौद्योगिकियां**: दूरगामी क्षेत्रों में बैंकिंग कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के लिए नाबार्ड ने एचटीएस-वीसैट, डुअल एलटीई और एसडी-वैन प्रौद्योगिकियाँ[6] लगाने के लिए बैंकों को अनुदान-आधारित प्रतिपूर्ति प्रदान की. अब तक, 1,000 से अधिक गांवों में नेटवर्क विश्वसनीयता में सुधार के लिए ₹373.1 लाख की मंजूरी के साथ 163 उपकरण लगाए गए.
- **विशेष अभियान 4.0—ग्रामीण वित्तीय साक्षरता**: वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर 2024 तक आयोजित इस अभियान में वित्तीय जागरूकता के साथ स्वच्छता को जोड़ा गया. नाबार्ड ने ₹96.8 लाख की अनुदान सहायता के साथ 591 शिविरों और नुक्कड़ नाटकों के संचालन के लिए 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ भागीदारी की. इन कार्यक्रमों के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 1,29,354 नए खाते खोले गए.
    - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 1,73,147 नए नामांकन किए गए
    - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4,09,915 नए नामांकन किए गए
    - अटल पेंशन योजना के तहत 66,601 नए नामांकन किए गए

शोकेस 6.1: मेघालय में ग्रामीण बैंकिंग एजेंटों का सशक्तीकरण

मेलोडिस सीम्लेह, जो छह माह से एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का सदस्य था, को 14 सितंबर 2021 को मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी (एमएसआरएलएस) द्वारा एक बिज़नेस करेस्टपोंडेंट (बीसी) के रूप में नियुक्त किया गया. मेघालय ग्रामीण बैंक की रिंजा शाखा से संबद्ध, मेलोडिस सीम्लेह को मेघालय के पाँच दूरदराज गाँवों के लगभग 4,500 से 5,000 घरों तक पहुँचने और वित्तीय समावेशन के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा गया.

अपनी इस भूमिका में सीम्लेह ने वित्तीय साक्षरता की पहलों में सक्रिय रूप से सहयोग दिया और खाता खोलने, नकदी जमा करने और आहरणों, निधि अंतरणों और ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेनों जैसी सेवाओं में सहायता की. नाबार्ड-प्रायोजित माइक्रो-एटीएम से लैस, वे बैंकिंग की सीमित आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों में उन लोगों के घर पर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं. इन सेवाओं में बैलेंस की पूछताछ और वास्तविक समय पर लेन-देन सेवाएँ शामिल हैं.

पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, सीम्लेह में कार्यरत बिज़नेस कॉरेस्पॉण्डेंटों (बीसी) को नाबार्ड की प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति माह 50 सफल लेनदेन के बेंचमार्क को प्राप्त करने पर वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ₹12,000 की कुल प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई. इस प्रोत्साहन ने सुलभ और उत्तरदायी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाया.

प्रमुख प्रभाव:

- वित्तीय सशक्तीकरण: नियमित वित्तीय साक्षरता सत्रों के माध्यम से, उन्होंने बैंकिंग प्रथाओं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति ग्रामवासियों में जागरूकता का संचार किया.
- घर पर बैंकिंग: वे अलग-थलग पड़े सुदूर क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और अल्पसेवित समूहों अत्यावश्यक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिससे बैंक की शाखा तक की यात्रा की आवश्यकता ही समाप्त हो गई.
- उत्कृष्टता को मान्यता: उनकी सेवा और समर्पण को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें 2 फरवरी 2024 को एमएसआरएलएस, शिलांग द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) के लिए नाबार्ड की प्रोत्साहन योजना के तहत सहयोग प्राप्त मेलोडिस सीम्लेह, जिसे सेवा में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया; एमएसआरएलएस, शिलांग.

6.7 आगे की राह

वित्तीय समावेशन को और अधिक गहराई तक ले जाने और उसे संधारणीय बनाने के लिए, नाबार्ड दूरदर्शी पहलें कार्यान्वित कर रहा है जो लैंगिक संवेदनशीलता, डिजिटल जुड़ाव और आधार स्तरीय क्षमता निर्माण को एकीकृत करती हैं:

1. **जेंडर इंटेंशनलिटी स्कोरकार्ड (जीआईएस) सह डैशबोर्ड**: इस डिजिटल मॉनिटरिंग साधन को विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग (डब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है. इस साधन को यह आकलन करने के लिए तैयार किया गया है कि कैसे वित्तीय संस्थाएँ, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जानबूझकर वित्तीय समावेशन की अपनी रणनीतियों में महिलाओं को शामिल करते हैं. जीआईएस 62 मापदंडों के एक विस्तृत समुच्चय का उपयोग करते हुए पाँच प्रमुख आयामों में कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है: लेखे, सामाजिक सुरक्षा, ऋण, डिजिटल पदचिह्न और कार्यबल भागीदारी. यह डैशबोर्ड तुलनात्मक आकलनों को सक्षम बनाएगा और लक्ष्योन्मुख महिलाओं के प्रति संवेदनशील सहयोगों की सूचना देगा.
2. **इंटरैक्टिव वित्तीय साक्षरता गेम का विकास**: नवोन्मेषी दृष्टिकोण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता में लगातार आ रही कमियों को दूर करने के लिए नाबार्ड और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने 22 मई 2024 को एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस सहयोग के अंतर्गत, एनसीएफई अगली-पीढ़ी के मोबाइल-आधारित संवादात्मक वित्तीय साक्षरता पर गेम विकसित करेगा. इस गेम में उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल होंगी:

   क. बहुभाषी समर्थन, क्षेत्रीय भाषाओं सहित;
   ख. दूरस्थ क्षेत्रों के लिए ऑफ़लाइन पहुँच; और
   ग. ग्रामीण उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किए गए गेमिफाइड लर्निंग मॉड्यूल.

3. **कौशल विकास परितंत्र में सामुदायिक संसाधन निकायों पर प्रायोगिक परियोजना**: भारतीय रिज़र्व बैंक की संस्तुतियों के अनुसरण में, नाबार्ड सामुदायिक संसाधन निकायों (सीआरई) की अवधारणा को कौशल विकास और आजीविका परितंत्र के भीतर एक विश्वसनीय मध्यस्थ सहयोगी के रूप में कार्य करने के लिए प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित करेगा. प्रायोगिक परियोजना को एक वर्ष के दौरान बिहार और छत्तीसगढ़ के 20 खंडों में लॉन्च किया जाएगा. ये सामुदायिक संसाधन निकाय (सीआरई) ग्रामीण उम्मीदवारों को कौशल विकास केंद्रों, वित्तीय संस्थाओं और नियोक्ताओं से जोड़ने में सुविधा प्रदाताओं के रूप में काम करेंगे - जिससे कौशल-आपूर्ति और कौशल-माँग के बीच तालमेल बढ़ेगा और आजीविका के अवसरों तक पहुँच बढ़ेगी.

नोट

1. ग्रामीण वित्तीय संस्थानों में ग्रास बैंक, क्षेग्रा बैंक, एससीबी, लघु वित्त बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ-सूक्ष्म वित्त संस्था और स्थानीय बैंक शामिल हैं.
2. क्षेत्र-वार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
    - दक्षिण: आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और लक्षद्वीप
    - पश्चिम: गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, तथा दमन और दीव
    - उत्तर: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़
    - मध्य: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
    - पूर्व: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
    - पूर्वोत्तर: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम
3. 31 मई 2025 की स्थिति में, निपटान हेतु ₹205.8 करोड़ राशि के कुल 99,724 दावे प्रस्तुत किए गए हैं.
4. 1 मई 2025 से प्रभावी 'एक राज्य, एक आरआरबी' नीति के तहत 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलयित किया गया.
5. जनसुरक्षा पोर्टल पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के संदर्भ में आरंभ से अंत तक के डिजिटल नामांकन और दावा निपटान को सक्षम बनाता है.
6. एचटीएस = हाई थ्रूपुट सेटेलाइट, एलटीई = लॉन्ग टर्म इवॉल्यूशन, एसडी-वैन = सॉफ्टवेयर-डिफाइन्ड वाइड एरिया नेटवर्क.